संख्या-02/2021/67900/2021/65-3099-645/2019

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के गठन/स्थापना एवं संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-12/दि0ज0स0वि0/लेखा/2020-21, दिनांक 09 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निधि के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-35-दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपये-5,00,00,000.00 (रूपये-पॉच करोड़ मात्र) व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021,दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-430/65-3-2018-39/2018, दिनांक27 नवम्बर, 2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(घ) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(च) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-35-दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021,दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में जारी किये किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल बहादुर यादव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद् दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6- नियोजन अनुभाग-3
7- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।